16/4/25 आज पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] को पेश हो
पत्रावली वादी बहस हेतु दिनांक 15-5-2025 को पेश हो
ह०/

15/5/25 आज पत्रावली पेश हुई वकील अप्रार्थी पक्ष उपस्थित।
वकील अप्रार्थी बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अप्रार्थी
सहमति से दावा वादी डिक्री किया जाता है। डिक्री
हेतु डिक्री पृथक से लिखा जावे। [illegible]
पत्रावली फैसल किया गया। पत्रावली बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।
ह०

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

आदेश [illegible]

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**

व इजलास **श्री भगवत शरण त्यागी (R.A.S.)**

1. अशोक कुमार मंगल आयु 67 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री उत्तमचन्द मंगल जाति वैश्य निवासी कस्बा बाडी तहसील बाडी

<u>बनाम</u>

1. मुकेश कुमार मंगल
2. राकेश कुमार मंगल

} पुत्रगण स्वर्गीय श्री केशवचन्द मंगल मूल निवासी कस्बा बाडी हाल निवासी 3202, बाशिगटन ए0वी0ई0 पास का गोला एम0एस0 39581 यू0एस0ए0

दावा दावत

मुकदमा नं. **37/2024**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय

व हाजरी **श्री जगदीश प्रसाद मित्तल एड0** मिनजानिब मुद्दई **श्री रविन्द्र शर्मा एड0** मिनजानिब मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है

दावा वादी डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख0नं0 883 रकवा 0.0759 हैक्टेयर, 910 रकवा 0.3415 हैक्टेयर, 911 रकवा 0.3541 हैक्टेयर, 912 रकवा 0.0253 हैक्टेयर, 913 रकवा 0.4300 हैक्टेयर, 914 रकवा 0.1897 हैक्टेयर, 915 रकवा 0.2782 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल क्षेत्रफल 1.6947 हैक्टेयर स्थित कस्बा बाडी नम्बर 1 तहसील बाडी में वादी को मृतक केशव चन्द्र मंगल के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

नीज .... मुबलिग.................. बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **15** माह **04** साल **2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – **श्री भगवत शरण त्यागी आर.ए.एस.**

उनवान

अशोक कुमार **बनाम** मुकेश

1. अशोक कुमार मंगल आयु 67 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री उत्तमचन्द मंगल जाति वैश्य निवासी कस्बा बाडी तहसील बाडी

वादी :–

बनाम

1. मुकेश कुमार मंगल
2. राकेश कुमार मंगल

पुत्रगण स्वर्गीय श्री केशवचन्द मंगल मूल निवासी कस्बा बाडी हाल निवासी 3202, बाशिगटन ए0वी0ई0 पास का गोला एम0एस0 39581 यू0एस0ए0

प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादी के वकील – श्री जगदीश प्रसाद मित्तल एड0
प्रति0 के वकील – श्री रविन्द्र शर्मा एड0

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0

दावा सं. 37/2024 दिनांक :– 15.04.2025

निर्णय

वादी द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया है कि :–

आराजी खसरा नम्बर 883 रकवा 0.0759 हैक्टेयर, 910 रकवा 0.3415 हैक्टेयर, 911 रकवा 0.3541 हैक्टेयर, 912 रकवा 0.0253 हैक्टेयर, 913 रकवा 0.4300 हैक्टेयर, 914 रकवा 0.1897 हैक्टेयर, 915 रकवा 0.2782 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल क्षेत्रफल 1.6947 हैक्टेयर स्थित कस्बा बाडी नम्बर 1 तहसील बाडी में वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है व 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादी के सहोदर भाई व प्रतिवादीगण के पिता श्री केशवचन्द्र मंगल थे। प्रस्तुत वाद में श्री केशवचन्द मंगल के 1/2 हिस्से की आराजीयात विवादित है। वादी के भाई श्री केशवचन्द मंगल सन 1970 में अपने परिवार के साथ यू0एस0ए0 चले गये थे तथा वही पर अपने परिवार के साथ रहते थे। प्रतिवादीगण व उनके पिता जब भी बाडी आते थे तब वादी ही उनकी देखभाल, उनके खाने–पीने व ठहरने की व्यवस्था करता था। वादी व उनके भाई केशवचन्द मंगल एक दूसरे से काफी स्नेह करते थे। वादी ही ऊपर वर्णित आरजीयात में उनके हिस्से की आराजीयात की देखभाल व काश्त करता रहा है। वादी के भाई श्री केशवचन्द्र मंगल पुत्र श्री उत्तम चन्द्र मंगल जाति वैश्य मूल निवासी कस्बा बाडी हाल निवासी पास का गोला यू0एस0ए0 ने अपने जीवनकाल में दिनांक 04.05.2022 को अपने स्वस्थ्य चित्त व स्थिर

उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

बुद्धि की दशा में बिना किसी दबाब व धमकाव के अपनी स्वेच्छा से व गवाहान की उपस्थिति में ऊपर वर्णित आराजीयात में प्राप्त अपने 1/2 हिस्से की आरजीयात का वसीयतनामा वादी के पक्ष में आगरा में निष्पादित कर दिया व उस पर गवाहान की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर करा दिये तथा गवाहान ने इस वसीयतनामा पर श्री केशवचन्द्र मंगल की उपस्थिति में बतौर गवाह अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये तथा श्री केशवचन्द्र मंगल ने इस वसीयतनामा को उसी दिन दिनांक 04.05.2022 को नौटरी पब्लिक श्री महेश बघेल एडवोकेट आगरा से प्रमाणित कराकर असल वसीयतनामा वादी को सौंप दिया था वादी के भाई श्री केशवचन्द्र मंगल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.06.2022 को अपनी स्वस्थचित्त व स्थिर बुद्धि की दशा में बिना किसी दबाब व धमकाव के अपनी स्वेच्छा से व गवाहान की उपस्थिति में यू0एस0ए0 में ऊपर वर्णित आराजीयात में प्राप्त अपने 1/2 हिस्से की आराजीयात का अन्तिम वसीयतनामा वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया व उस पर गवाहान की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर कर दिये व गवाहान ने इस वसीयतनामा पर श्री केशवचन्द्र मंगल की उपस्थिति में बतौर गवाहान अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये थे तथा श्री केशवचन्द्र मंगल ने इस वसीयतनामा को मिसीसिपी (यू0एस0ए0) के नौटरी पब्लिक से प्रमाणित करा कर वादी के पास भेज दिया था। वादी के भाई श्री केशवचन्द्र मंगल ने अपनी उपरोक्त दौनों वसीयतनामों के माध्यम से अपने निधन के उपरान्त वादी को ऊपर वर्णित आराजीयात में प्राप्त अपने 1/2 हिस्से की आराजीयात का उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। चूंकि श्री केशवचन्द्र मंगल के पुत्रगण प्रतिवादीगण आर्थिक रूप से सम्पन्न थे इसलिये श्री केशवचन्द्र मंगल अपने वारिशान को ऊपर वर्णित आराजीयात में कोई भाग देना नही चाहते थे। वादी के भाई श्री केशवचन्द्र मंगल का निधन दिनांक 28.07.2022 को हो चुका है। वादी श्री केशवचन्द्र मंगल का निधन हो जाने पर ऊपर वर्णित आरजीयात में प्राप्त उनके 1/2 हिस्से का उक्त वसीयतनामों के आधार पर खातेदार काश्तकार है व काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हित, अधिकार व हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण के पिता श्री केशवचन्द्र मंगल ने उक्त वसीयतनामा प्रतिवादीगण की मौखिक सहमति व जानकारी में वादी के पक्ष में निष्पादित किये थे, इसलिये प्रतिवादीगण को पूर्व में वसीयतों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही रही थी। लेकिन अब दिनांक 20.02.2024 से प्रतिवादीगण वादी के हकूको से इन्कार करने लगे है। वादी न्यायालय श्रीमान द्वारा यह घोषित करा पाने का अधिकारी है कि वह वसीयतनामों के आधार पर विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार है तथा तदनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करा पाने का अधिकारी है।

इस प्रकार दावा पेश कर वादीया ने निवेदन किया कि :–

यह घोषित किया जावे कि वादी चरण नम्बर 1 वादपत्र में वर्णित आराजीयात में श्री केशवचन्द्र मंगल पुत्र श्री उत्तमचन्द्र मंगल के 1/2 हिस्से की विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। तदनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करायी जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर इकबाल दावा प्रस्तुत कर वादी का दावा मुताबिक प्रार्थना डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त की।

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में Ex 1 असल वसीयतनामा तारीखी 04.05.2022, Ex 2 असल वसीयतनामा तारीखी 22.06.2022, Ex 3 नकल मृत्यु प्रमाण पत्र केशव चन्द मंगल, Ex 4 सहमति पत्र श्री मुकेश कुमार मंगल, Ex 5 सहमति पत्र श्री राकेश

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

कुमार मंगल पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में Pw 1 अशोक कुमार मंगल, Pw 2 सन्तोष कुमार गर्ग के शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कराये।

बहस वकील उभयपक्ष समाअत की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत Ex 1, 2 असल वसीयतनामा तारीखी 04.05.2022 व 22.06.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक केशव चन्द्र मंगल द्वारा उक्त तारीखों को वादी अशोक कुमार मंगल के हक में वसीयतें निष्पादित करायी गई है। जिनकी पुष्टि मृतक केशव चन्द्र मंगल के पुत्रों के Ex 4, 5 सहमति पत्रों से होती है। जिनमें मृतक के पुत्रों द्वारा इस तथ्य पर सहमति जताई है कि उनके पिता द्वारा वादी के हक में उक्त वसीयतें निष्पादित की गई है। इसके अलावा वसीयत दिनांक 04.05.2022 के गवाह Pw 2 सन्तोष कुमार गर्ग द्वारा दी गई गवाही से भी वादी द्वारा अपने दावे में अंकित किये गये तथों की पुष्टि होती है। साथ ही प्रति0 द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर इकबाल दावा प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में वादी प्रश्नगत आराजी में मृतक केशव चन्द्र मंगल के हिस्से के स्थान पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी पाया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरी राय में वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख0नं0 883 रकवा 0.0759 हैक्टेयर, 910 रकवा 0.3415 हैक्टेयर, 911 रकवा 0.3541 हैक्टेयर, 912 रकवा 0.0253 हैक्टेयर, 913 रकवा 0.4300 हैक्टेयर, 914 रकवा 0.1897 हैक्टेयर, 915 रकवा 0.2782 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल क्षेत्रफल 1.6947 हैक्टेयर स्थित कस्बा बाडी नम्बर 1 तहसील बाडी में वादी को मृतक केशव चन्द्र मंगल के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। निर्णय मुताबिक डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज